प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं. 284/ 2012

भूपेंद्र कुमार देवांगन, पिता- श्री सेवाराम देवांगन, आयु- लगभग 26 वर्ष, निवसी- खमतराई, साहुपारा, थाना- खमतराई, जिला- रायपुर (छ.ग.)

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना- खमतराई, जिला- रायपुर (छ.ग.)

--- प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवम्

दाण्डिक अपील सं. 350/ 2012

लक्ष्मी नारायण, पति- दौलतराम शर्मा, आयु- लगभग 24 वर्ष, निवासी- परमेश्वरी नगर, बीरगाँव, थाना- उरला, जिला, रायपुर (छ.ग.)

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना प्रभारी, थाना- खमरिया, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

--- प्रत्यर्थी

एवम्

दाण्डिक अपील सं. 312/ 2012

बेदराम वर्मा, पिता- भरत लाल वर्मा, आयु- लगभग 26 वर्ष, निवासी- बुधवारी बाजार, थाना- उरला, जिला-रायपुर (छ.ग.)

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी, थाना- खमरिया, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

--- प्रत्यर्थी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थियों की ओर से : दाण्डिक अपील सं. 284/2012 में श्री समीर सिंह, अधिवक्ता; दाण्डिक अपील सं. 350/2012 में श्री प्रतीक शर्मा की ओर से श्री राजकुमार साहू, अधिवक्ता तथा दाण्डिक अपील सं. 312/2012 में श्री आर. एम. सोलापुरकर, अधिवक्ता

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से : श्री अजय पाण्डेय, शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायामूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

पीठ पर आदेश

28.04.2025

1. चूंकि यह अपीलें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतारा (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण सं. 41/2011 में पारित 28.02.2012 दिनांकित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दण्डादेश से उद्भूत हुई हैं, इसलिए उनका निराकरण इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को सिद्धदोष किया है और निम्नानुसार दण्डादेश दिया हैः-

दाण्डिक अपील सं. 284/2012 एवम् दाण्डिक अपील सं. 312/2012 में

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भा.द.वि. की धारा 120-ख के तहत	प्रत्येक को 07 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ रु. 500/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में सश्रम कारावास अतिरिक्त 02 माह के लिए भुगतना होगा।
भा.द.वि. की धारा 458 के तहत	प्रत्येक को 07 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ रु. 500/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में सश्रम कारावास अतिरिक्त 02 माह के लिए भुगतना होगा।
भा.द.वि. की धारा 392 के साथ पठित धारा 392 के तहत	प्रत्येक को 07 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ रु. 500/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में सश्रम कारावास अतिरिक्त 02 माह के लिए भुगतना होगा।

(सभी मूल दण्डादेश एक साथ चलेंगे)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील सं. 350/2012 मे

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भा.द.वि. की धारा 120-ख के तहत	07 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ रु. 500/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में सश्रम कारावास अतिरिक्त 02 माह के लिए भुगतना होगा।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता- हेम प्रसाद शर्मा (अ.सा. -1) नगर पंचायत के कार्यालय के पीछे रह रहा था तथा वन रेंजर के रूप में कार्यरत् था। दोपहर लगभग 04:30 बजे वह खमरिया में अपने घर वापस आया, परिवार के साथ रात का खाना खाया और रात का खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोया। यद्यपि, उसका बेटा दुष्यंत कुमार शर्मा (अ.सा.-3) जो 12 वीं कक्षा का छात्र था, अपने घर के सामने के कमरे में पढ़ रहा था और रात्रि लगभग 12:30 बजे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया और उसी में सो गया, फिर दो अज्ञात लोगों ने साजिश रची और दरवाजे को बलपूर्वक धकेलकर शिकायतकर्ता के घर में घुस गए और तुरंत, उन्होंने अ.सा.-3 की गर्दन पर चाकू रख दिया और एक अभियुक्त ने उसके हाथ कपड़े से बांध दिए। तत्पश्चात वे अ.सा.-3 को उसके माता-पिता के कमरे में ले गए जहां वे सो रहे थे और उन्हें यह कहकर धमकी देने लगे कि उनके पास जो भी मूल्यवान चीजें हैं वे उन्हें सौंप दें और रु. 60,000/- के सोने के गहने और रु. 5,000/- नगद लूट लिए। उपरोक्त मामले की शिकायत शिकायतकर्ता- हेम प्रसाद शर्मा (अ.सा.-1) ने थाना-खमरिया में प्र.P/1 के माध्यम से की भा.द.वि. जिस पर भा.द.वि. की धारा 458 और 392 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध सं. 38/2011 दर्ज किया गया। पुलिस ने जाँच शुरू की; नजरी नक्शा (प्र.P/2) तैयार किया गया, सह-अभियुक्तों के मेमोरेण्डम कथन (प्र.P/7, P/8 और P/9) लेखबद्ध किए तथा उन मेमोरेण्डम कथनें के आधार पर अपीलार्थियों /अभियुक्तों से अन्य वस्तुएँ बरामद की गईं और अपीलार्थी को 22.03.2011 को गिरफ्तार किया गया।

3. उचित और आवश्यक अन्वेषण पूरी होने के बाद, एक आरोप पत्र प्रस्तुत कर गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, साजा के समक्ष पेश प्रस्तुत , इसके बाद, मामला दाण्डिक अपील संख्या में अपीलार्थी, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतारा को सौंप दिया गया। भा.द.वि. की धारा 120-ख के तहत दण्डनीय अपराध के लिए विचारण चलाया गया और अन्य अपीलार्थियों पर भा.द.वि. की धारा 458,392 सहपठित और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भा.द.वि. की धारा 397 और 120-ख के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए विचारण चलाया गया।

4. अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के अपराध को साबित करने के लिए 18 साक्षियों शिकायतकर्ता हेम प्रसाद शर्मा (अ.सा.-1), श्रीमती. चंद्रकला शर्मा (अ.सा.-2), दुष्यंत कुमार शर्मा (अ.सा.-3), देवेंद्र बांधे (अ.सा.-4), सुशील बंगाली (अ.सा.-5), देवेंद्र परमार (अ.सा.-6), बी. पी. निरवर (अ.सा.-7), तुलाराम साहू (अ.सा.-8), सेकराम दीवान (अ.सा.-9), विनय परमार (अ.सा.-10), राजाराम पाटिल (अ.सा.-11), गिरधसिंह परमार (अ.सा.-12), मोहनलाल सोनी (अ.सा.-13), सुरेश भगत (अ.सा.-14), सुरेश शर्मा (अ.सा.-15), बी. एस. शर्मा (अ.सा.-16), डॉ. आर.पी. शर्मा (अ.सा.-17), सत्तम दास (अ.सा.-18) का परिक्षण किया तथा 27 दस्तावेज- प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.**P**.1), नक्शा (प्र.**P**-2), जब्ती पत्रक (प्र. **P**/3 और **P**/4), पहचान ज्ञापन (प्र.**P**/5), सुपुर्दनामा (प्र.**P**/6), पहचान कार्यवाही (प्र.**P**/7**A**), अभियुक्तों के मेमोरेण्डम कथन (प्र. **P**/7, **P**/8 और **P**/9), अभियुक्त का ज़ब्ती ज्ञापन (प्र. **P**/10, **P**/11, **P**/12 और **P**/13), अभियुक्तों के गिरफ्तारी ज्ञापन (प्र. **P**/14, **P**/15 और **P**/16), साक्षियों के कथन (प्र. **P**/17, **P**/18, **P**/23, **P**/24), पहचान कार्यवाही (प्र. **P**/19, **P**/21), नजरी नक्शा (प्र. **P**/20), सुरेश कुमार शर्मा का जब्ती ज्ञापन (प्र. **P**/22), मुल्हीजा रिपोर्ट (प्र.**P**/26 से **P**/28) अभियुक्त की गिरफ्तारी की जानकारी (**Ex.P**/3) प्रदर्शित। अपीलार्थियों ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं किया। अभियुक्तों/अपीलार्थियों का कथन भी द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत लेखबद्ध किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन प्रकरण में उनके विरूद्ध उत्पन्न होने वाली सभी आपराधिक परिस्थितियों से इनकार किया और इस प्रकरण में निर्दोष होने और झूठे आलिप्तता का अभिवाक् किया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के मूल्यांकन करने के बाद, अपीलार्थी को दाण्डिक अपील सं.350/2012 में भा.द.वि. की धारा 120-ख कण्डिका तहत दण्डनीय अपराध के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिद्धदोष किया गया और अन्य अपीलार्थी को दाण्डिक अपील सं. 284/2012 एवं 312/2012 में भा.द.वि. की धारा 458,392 के साथ पठित धारा 397 और 120-ख के तहत दण्डनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया और उन्हें इस निर्णय की प्रारंभिक कण्डिका में उल्लिखित दण्डादेश दिया इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराकर विधि और तथ्य की गंभीर त्रुटि की है। विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य के मूल्यांकन करने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है और विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष अनुमानों पर आधारित हैं। विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि कोई चोरी की संपत्ति नहीं थी जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थियों से जब्त किया गया हो। दो स्वतंत्र साक्षी अ.सा.-4 और अ.सा.-5, जो जब्ती के साक्षी हैं, ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और परिवार के सदस्यों के अलावा, कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है जो अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन कर रहा है। वह आगे तर्क देते हैं कि परिवादी और अन्य साक्षियों के संस्करण में महत्वपूर्ण विरोधाभास, चूक और सुधार हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया। परिवादी और अन्य साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट है कि पहचान कार्यवाही (टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड/ टी. आई. पी.) से पहले, उन्होंने सभी अपीलार्थियों को पुलिस स्टेशन में देखा था, इसलिए पहचान कार्यवाही से अभियोजन पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती, परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने विकृत निष्कर्ष दिए और अपीलार्थियों को उपरोक्त अपराधों के लिए गलत तरीके से सिद्धदोष किया। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी उक्त आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. इसके विपरीत, उत्तरवादी/ राज्य के विद्वान अधिवक्ता आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन किया और अपीलार्थियों को सही तरीके से दोषी ठहराया। अतः आक्षेपित निर्णय एसी किसी भी अनियमितता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है जो वर्तमान अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक बनाता हो।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

9. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 120-ख के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दाण्डिक अपील सं. 350/2012 में और बाकी अपीलार्थी के लिए भा.द.वि. की धारा 458,392 सहपठित भा.द.वि. की धारा 397 और भा.द.वि. की धारा 120-ख के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों/अपीलार्थियों के विरूद्ध अपना प्रकरण साबित करने के लिए 18 साक्षियों का परीक्षण किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद, दाण्डिक अपील सं. 350/2012 में अपीलार्थियों को भा.द.वि. की धारा 120-ख के तहत दण्डनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया और दाण्डिक अपील सं. 284/2012 और 312/2012 में अन्य अपीलार्थियों को भा.द.वि. की धारा 458, 392 सहपठित धारा 397 और 120-ख के तहत दण्डनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. शिकायतकर्ता- हेम प्रसाद शर्मा (अ.सा.-1) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि 10.03.2011 को रात्रि लगभग 1:30 बजे वह खमरिया में अपने घर वापस आया, जब वह अपनी पत्नी चंद्रकला शर्मा (अ.सा.-2) के साथ अपने कमरे में सोया था और उसका बेटा दुष्यंत कुमार शर्मा (अ.सा.-3) अपने कमरे में कुंडी लगाना भूल गया था और वह उस कमरे में सोया हुआ था तब दो अज्ञात व्यक्ति घर में घुस गए और तुरंत उन्होंने उसके

बेटे की गर्दन पर चाकू रख दिया और एक अभियुक्त ने उसके हाथ कपड़े से बांध दिए। फिर वे उसके पुत्र को उसके सामने ले गए जहां वह अपनी पत्नी के साथ सो रहा था और उन्होंने उन्हें यह कहकर धमकी देना शुरू कर दिया कि उनके पास जो भी कीमती चीजें हैं उन्हें सौंप दें और सोने के गहने और नकदी लूट ली। उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी कहा कि दोनों अभियुक्त अपना चेहरा रूमाल से ढककर भेष बदले हुए थे। कण्डिका 5 में उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि "थाना में पहचान कार्यवाही के बाद उन आरोपियों का नाम बताया गया था/ मैंने थाना में जब आरोपियों को लाये थे तब पहचान लिया था/ जब आरोपी लोग मेरे घर में आए थे तब नकाब पर थे/....." अपने प्रति-परीक्षण की कण्डिका 9 में उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि "यह कहना सही है कि पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़कर थाना में लाया गया था तब पुलिस ने बताया की यही वे दो लोग हैं....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. चंद्रकला शर्मा (अ.सा.-2), जो परिवादी की पत्नी ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि वह लुटेरों की पहचान नहीं कर पाई क्योंकि एक लुटेरे ने अपना चेहरा मास्क से ढक लिया था और दूसरे ने अपना चेहरा रूमाल से ढक लिया था।

12. परिवादी के बेटे दुष्यंत कुमार शर्मा (अ.सा.-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि दोनों अभियुक्तों ने अपना चेहरा मास्क और रूमाल से ढका हुआ था। यद्यपि, वह इस कथन पर कायम रहा कि दोनों अभियुक्तों ने अपना चेहरा मास्क से ढक लिया था, जिसके कारण वह उन्हें पहचान नहीं पाया।

13. देवेंद्र बांधे (अ.सा.-4) और सुशील बंगाली (अ.सा.-5) जब्ती के साक्षी हैं और उन्होंने प्र.**P**/5 से **P**/16 के भाग **A** से **A** और भाग **B** से **B** पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए और उन्होंने अपने सामने सभी कार्यवाही से इनकार किया और उन्होंने अपने प्रति-परीक्षण में अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सभी सुझावों को अस्वीकार कर दिया, यद्यपि, अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया।

14. नायब तहसीलदार बी. पी. निरवार (अ.सा.-7) का न्यायालय के समक्ष परीक्षण किया गया जिसमें उसने कहा कि परिवादी और अन्य साक्षियों के समक्ष पहचान कार्यवाही की गई थी और उसने पहचान ज्ञापन प्र.**P**-5 तैयार किया था जिसमें परिवादी हेम प्रसाद शर्मा (अ.सा.-1) द्वारा अभियुक्तों/बेद राम और भूपेंद्र की सही पहचान की गई थी।

15. यह माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा **गिरीसन नायर व अन्य बनाम केरल राज्य**[1] के मामले में कण्डिका 29, 31 और 32 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

> 29. **पहचान कार्यवाही (टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड/ टी. आई. पी.) पुलिस द्वारा अन्वेषण के स्तर से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि अन्वेषण सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यह विवेक का एक नियम है जिसका उन मामलों में पालन किया जाना आवश्यक है जहां अभियुक्त साक्षी या परिवादी को ज्ञात नहीं है (मातृ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, तथा सी. मुनियप्पन व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य)। पहचान कार्यवाही का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत ग्राह्य है। यद्यपि, यह एक ठोस सबूत नहीं है। इसके बजाय, इसका उपयोग विचारण के समय न्यायालय के समक्ष साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य की पुष्टि के लिए किया जाता है। अतः पहचान कार्यवाही, यदि किए भी जाते हैं तो, सभी प्रकरणों में विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माने जा सकते हैं, जिसके आधार पर किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि को यथावत रखा जा सकता है (हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेख राज) एवं सी. मुनियप्पन व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य)।**
>
> **31. जिन प्रकरणों में साक्षियों को पहचान कार्यवाही (टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड/ टी. आई. पी.) होने से पहले अभियुक्त को देखने का पर्याप्त अवसर**

1 2023(1) SCC 180

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मिला हो, यह विचारण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय के समक्ष स्थापित करे कि गिरफ्तारी के दिन से ही अभियुक्त को "बापर्दा" रखा गया था ताकि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए उनका चेहरा देखे जाने की संभावना से इनकार किया जा सके। यदि साक्षियों को पहचान कार्यवाही से पूर्व अभियुक्त को देखने का अवसर मिला, चाहे वह किसी भी रूप में हो, अर्थात् शारीरिक रूप से, तस्वीरों के माध्यम से या मीडिया (समाचार पत्र, टेलीविजन आदि) के माध्यम से, तो पहचान कार्यवाही का साक्ष्य वैध साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है (लाल सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा सूर्यमूर्ति व अन्य बनाम गोविंदस्वामी व अन्य)।

32. यदि पहचान कार्यवाही में पहचान अभियुक्त को साक्षियों को दिखाए जाने के बाद हुई है, तो न केवल पहचान कार्यवाही का साक्ष्य अस्वीकार्य है, अपितु विचारण के दौरान न्यायालय में पहचान भी अर्थहीन है (शेख उमर अहमद शेख व अन्य बनाम महाराष्ट्र)।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 162 के आलोक में, किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित पहचान कार्यवाही भी अस्वीकार्य है (चुनथुराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा रामकिशन मिथनलाल शर्मा बनाम बॉम्बे राज्य)।"

16. उपरोक्त निर्णय के आलोक में, प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, वर्तमान प्रकरण में भी शिकायतकर्ता- हेम प्रसाद शर्मा (अ.सा.-1) के कथन से यह स्पष्ट है कि उसने दोनों अभियुक्तों को पहचान कार्यवाही से पहले ही पुलिस स्टेशन में देखा था और पुलिस कर्मियों ने उसे बताया था कि वे आरोपी हैं, जिन्होंने उसे लूटा था, फिर उसने दोनों अभियुक्तों की पहचान की थी। यद्यपि, विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया और इस तरह अपीलार्थियों को उक्त

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपराधों के लिए सिद्धदोष किया। यह बहुत स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के अपराध को सभी उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं है, अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष यथावत् रखे जाने योग्य नहीं हैं।

17. परिणामस्वरूप, दाण्डिक अपीलें **स्वीकार** की जाती हैं और विद्वान विचारण न्यायालय के 28.02.2012 दिनांकित आक्षेपित निर्णय को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थियों को उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

18. अपीलार्थियों के जमानत पर होने की सूचना है, अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 के उपबंध को दृष्टिगत रखते हुए उनका बंध-पत्र आज से छह माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

19. विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही हेतु तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(रजनी दुबे)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**